

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 नवंबर, 2022 की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 22 नवंबर, 2022 को 11.00 बजे प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

|     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
| 1.  | आचार्य प्रमोद कुमार जैन, निदेशक                                  | - | अध्यक्ष    |
| 2.  | आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग | - | उपाध्यक्ष  |
| 3.  | आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य)                | - | सदस्य      |
| 4.  | आचार्य रजनेश त्यागी, अधिष्ठाता (संकाय कार्य)                     | - | सदस्य      |
| 5.  | आचार्य विकाश कुमार दुबे, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास)          | - | सदस्य      |
| 6.  | आचार्य लाल प्रताप सिंह, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)                 | - | सदस्य      |
| 7.  | श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार)                           | - | सदस्य      |
| 8.  | आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग       | - | सदस्य      |
| 9.  | आचार्य सत्यवीर सिंह, रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग                 | - | सदस्य      |
| 10. | श्रीमती स्वाति बिस्वास, संयुक्त कुलसचिव (लेखा)                   | - | सदस्य      |
| 11. | श्री रोहित कुमार राय, सहायक कुलसचिव (राजभाषा)                    | - | सदस्य सचिव |

आचार्य राजीव श्रीवास्तव, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र) तथा आचार्य संजय कुमार पांडेय एवं श्री जगदीश नारायण राय, संयोजक, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, वाराणसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

**मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 जून, 2022 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:**

दिनांक 20 जून, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समिति ने पुष्टि की।

**मद सं. 2: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20 जून, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई:**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 जून, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- समिति को यह अवगत कराया गया कि डॉ. मनहर चारण, सहायक आचार्य, मानवतावादी अध्ययन विभाग द्वारा पुस्तक लेखन प्रस्ताव "तकनीकी शिक्षा का मानवीयकरण" की समयावधि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक चयन किया गया है, जिसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण वक्ताओं और लेखकों से लेख लिखवाया जाएगा।  
इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ करके सितंबर 2023 तक समाप्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी एवं आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव की एक समिति गठित की है जो उक्त पुस्तक लेखन में लिखवाये गए लेखों की जांच करेंगे।
- हिन्दी में तैयार शैक्षणिक प्रपत्रों की समीक्षा हेतु आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य), आचार्य संजय कुमार पांडेय एवं आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव की एक समिति गठित की गई थी। अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) ने यह अवगत कराया कि राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा भेजे गए प्रपत्रों को उन्होंने जांच लिया है।  
यह निर्णय लिया गया कि तीनों सदस्य दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एक बैठक आयोजित करके एक बार प्रपत्रों की जांच पुनः कर लें।
- भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव द्वारा हिन्दी में तैयार बी.फार्मा के प्रयोगशाला पुस्तिका (लैब मैनुअल) को विभाग के डीयूजीसी (DUGC) की बैठक में रखा गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुमोदित लैब मैनुअल को राजभाषा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने हेतु भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग से अनुरोध किया जाए।
- संस्थान में संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में श्रीनिवास देशपांडे ग्रंथालय एवं मुख्य कार्यशाला द्वारा एक कक्ष निर्धारित किया गया। आगे यह निर्णय लिया गया कि सभी विभागों एवं मुख्य कार्यशाला तथा ग्रंथालय को उपलब्ध उपकरण/मशीनों व पाण्डुलिपियों की सूची तैयार कर संग्रहालय समिति को भेजने का कष्ट करें। इन सामग्रियों को राइट ऑफ न किया जाए। इस सूची की जांच उक्त समिति द्वारा किया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, आचार्य संजय पांडेय तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष की एक समिति गठित की जाए तथा यह समिति इंजीनियरिंग के शब्दों की एक शब्दावली निर्माण करके पुस्तकालय में रखवाए, इसके लिए समिति द्वारा सभी विभागों से संपर्क कर अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों को मंगवाया जाए।

5. हिन्दी में प्राप्त पुस्तक लेखन प्रस्तावों की एक सूची तैयार करके समिति के समक्ष रखी गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों में व्याप्त त्रुटियों से संबन्धित विषयों पर चर्चा हुई। इसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिये गए -

| क्रम सं० | प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रस्तावक का नाम  | पुस्तक लेखन में पायी गई कमियाँ  | निर्णय   |
|----------|--|---|--|
| 1.       | "सिरामिक मृत्तिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी"<br>प्रस्तावक- आचार्य विनय कुमार सिंह, सिरामिक विभाग                              | प्रस्तावक द्वारा रुपये 2,00,000/- तक खर्चों का ब्यौरा भेजा गया एवं पत्र तथा दूरभाष के माध्यम से बार बार एक लाख के अंदर खर्च भेजने का अनुरोध करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला।   | एक बार पुनः अनुरोध किया जाए।   |
| 2.       | "समांग रासायनिक क्रिया अभियांत्रिकी"<br>प्रस्तावक- आचार्य सत्यवीर सिंह, रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग                          | प्रस्तावक से पुस्तक लेखन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से विषय-सूची देने तथा साथ ही सभी विषयों का संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।   | प्रस्तावक द्वारा उक्त विवरण भेजा गया। अतः प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 3.       | "सूक्ष्मतरंग अभियांत्रिकी: सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग"<br>प्रस्तावक- आचार्य मनोज कुमार मेश्राम, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी विभाग | खर्चों का ब्यौरा एक लाख के अंदर दिया गया। उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाना है।   | अनुमोदन प्रदान किया गया।   |
| 4.       | "एन्टेना सिद्धांत एवं तरंग प्रसार"<br>प्रस्तावक- आचार्य मनोज कुमार मेश्राम, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी विभाग                  | खर्चों का ब्यौरा एक लाख के अंदर देने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाना है।   | अनुमोदन प्रदान किया गया।   |
| 5.       | "विद्युत अभियांत्रिकी- सिद्धांत एवं अनुप्रयोग"<br>प्रस्तावक- आचार्य आर. के. साकेत, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग                | समिति की संस्तुति से प्रस्तावक से पुस्तक लेखन प्रस्ताव में हिन्दी टंकण की दर बाजार मूल्य पर देने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावक ने अपना प्रस्ताव वापस लेने की बात कही है, जिसे लिखित रूप में अवगत कराने का अनुरोध किया जाएगा। | प्रस्ताव वापस लेने की सूचना लिखित रूप में मांगी जाए।                           |

इसके अलावा नए प्रस्ताव में श्री शशांक पाठक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के "प्रौद्योगिकी एवं अनुवाद" पुस्तक को समिति के समक्ष खर्चों के ब्योरे (एक लाख के अंदर) के साथ रखा गया। इसे भी अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त सभी अनुमोदित प्रस्तावों से पुस्तक लेखन की समयवधि मांग ली जाए।

6. संस्थान की वेबसाइट iitbhu.ac.in के द्विभाषीकरण हेतु गठित समिति द्वारा यह अवगत कराया गया कि नए वेबसाइट में हिन्दी लिंक के अंतर्गत मुख्य पृष्ठ का हिन्दी संस्करण तैयार कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि वेबसाइट के द्विभाषीकरण हेतु गठित समिति द्वारा वेब मैनेजमेंट के सहयोग से इस हिन्दी वेबसाइट को एक बार रा० का० सं० की बैठक आहूत करके दिखा दी जाए।
7. अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) से शोध प्रबंध (Ph.d Thesis) कार्य में सारांश का एक पेज अनिवार्य रूप से हिन्दी में तैयार करवाने के लिये एक कार्यसूची (एजेंडा) तैयार करके राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजने का अनुरोध किया जाए।
8. समिति को यह अवगत कराया गया कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग (CSTI) द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग सभी विज्ञान व तकनीकी विषयों के मानक शब्दकोश तैयार किये गए हैं, जो उसके वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी विभागों को लिंक भेजकर इन शब्दकोशों का प्रयोग करने का अनुरोध किया जाए।

मद सं. 3: समिति के समक्ष पिछले चार तिमाहियों के हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया।

मद सं. 4: संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

- क. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अनुसार हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिन्दी में करने के लिए आदेश जारी किया जाए, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।
- ख. राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) का शत प्रतिशत अनुपालन हो रहा है, परंतु निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र द्विभाषी में पूर्ण जारी नहीं हो रहा है। उक्त प्रपत्रों के मानक रूप को द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
- ग. समिति को यह अवगत कराया गया कि राजभाषा प्रकोष्ठ के लिए स्थापना अनुभाग में एक छोटा सा स्थान निर्धारित है। राजभाषा कक्ष अलग से स्थापित करने हेतु संस्थान के प्रशासनिक भवन में एक स्थान का निर्धारण होने के उपरान्त ही प्रदान किया जाएगा।


- घ. पुस्तक लेखन प्रस्ताव में आचार्य राकेश मिश्र एवं आचार्य देवेन्द्र सिंह, विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग के पुस्तक प्रस्ताव "नेटवर्क एनालिसिस एवं सिंथेसिस" में प्रोजेक्ट स्टाफ रखने के मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि वे अपने प्रस्ताव में प्रोजेक्ट स्टाफ न रखकर पुस्तक लेखन पर किए गए काम के खर्चों को प्रस्तुत करें।
- ङ. समिति के उपाध्यक्ष आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा यह अवगत कराया गया कि संस्थान में वर्ष 2016 में राजभाषा सलाहकार समिति का गठन राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु किया गया था, जिसकी वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। अतः राजभाषा सलाहकार समिति को भंग करने का निर्णय लिया गया एवं वर्तमान में कार्य कर रही राजभाषा कार्यान्वयन समिति यथावत जारी रहेगी।
- च. भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हिंदी में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करवाया जाए, उक्त कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय ने आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। यह सेमिनार मई माह के अंत तक करवाने का निर्णय लिया गया है।



(रोहित कुमार राय)  
सदस्य सचिव



(स्वाति बिस्वास)  
सदस्य




(सत्यवीर सिंह)  
सदस्य




(सुशांत कुमार श्रीवास्तव)  
सदस्य




(राजन श्रीवास्तव)  
सदस्य




(विकाश कुमार दुबे)  
सदस्य




(लाल प्रकाश सिंह)  
सदस्य




(रजनेश त्यागी)  
सदस्य



(एस. बी. द्विवेदी)  
सदस्य



(अनिल कुमार त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष



(प्रमोद कुमार जैन)  
अध्यक्ष